

Page No. 05278 2454-7
Date 05278 2454-7

DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)
पत्रांक संख्या : लो०अ०वि०/सम्ब०/ 2021/5309
दिनांक 28.06.2021

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (व्याप्तशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुसूचा दिनांक: 14.07.2020 एवं विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13 (8) के अन्तर्गत कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 19.06.2021 के अनुपालन में महर्षि साण्डिल्य प्रशिक्षण संस्थान, जगदीशपुर, गौरीगंज, जनेही को स्नातक स्तर पर कला शकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, नव्य कालीन इतिहास, मूल्य एवं गृहविज्ञान विषयों की स्वायत्ताप्राप्ति योजनाअन्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2020-21 में स्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

1. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-19(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनिर्णयवली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों/सूचनाओं के अस्तित्व पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आधार-कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
6. प्रत्येक वर्ष AISHE के PORTAL पर DCF-II से सम्बन्धित सूचनाएं अपलोड कराना अनिवार्य होगा।
7. मा० उच्च न्यायालय द्वारा रित वाधिका संख्या-61858/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/ 2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
8. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनिर्णयवली/शासनादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
10. संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।
11. College must take sincere interest and ensure accreditation from NAAC, Bangalore on a priority basis.

सचदीय

Vio
कुलसचिव

प्रतिनिधि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रबन्धक, महर्षि साण्डिल्य प्रशिक्षण संस्थान, जगदीशपुर, गौरीगंज, जनेही।
2. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
3. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
4. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने में कट करे।
5. पत्रावली।

[Signature]
सचदीय

कुलसचिव